


209
145
187

मुख्य मंत्री कार्यालय, भूगोल विभाग
परिषद्दन का अधिकार संख्या 23/153,
दिनांक 20 अक्टूबर 2009 द्वारा पूर्व भूगोल
शोजनामांगीत शासकीय विधि की पूर्व अटाकी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



मध्य प्रदेश राज्य नियमित विधायिका

मध्य प्रदेश राज्य नियमित विधायिका

मध्यप्रदेश राज्य नियमित विधायिका

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मई 2009—च्युटी नं. 1431

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| (अ) (१) भारतीय विधायिका, | (२) प्रवर समिति के अधिकार, | (३) वस्तुनियोगीय विधायिका |
| (ख) (१) अध्यादेश, | (२) मध्यप्रदेश अधिकार, | (४) वस्तुनियोगीय विधायिका |
| (ग) (१) आरुण्य विधायिका, | (२) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क) — कुछ चर्चा

भाग ४ (ख) — कुछ चर्चा

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मई 2009

क्र. एफ/3-37-2009-दस-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रत्युक्त हुए इकातार्थविधायिकों की विधायिका में कानून हुए मध्यप्रदेश के राज्यसभा, एतद्वारा, मध्यप्रदेश लैलिय श्रणी (लिपिक वर्गीय) वर्तं सेवा भारी विधायिका, 2000 में विभागित विधायिका का नाम है, अर्थात् ।—

मंशोधन

उक्त विधायिका में, अनुकूलीय विधायिका की ओर दी ई टिप्पणी का लाप किया जाए।

No.F-3-37-2009-X-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class III (Ministerial) Forest Services Recruitment Rules, 2000, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, the rule given below the scheduled III shall be omitted.

क्र. एक ३-३६-२००९-दर्ता-१.—“प्राप्ति के संबंधित अनुच्छेद ३०९ के परंपरुक द्वारा प्रदत्त शब्दियों को प्रयोग में लारे हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एवं द्वारा, मध्यप्रदेश भूमीय विभाग (जनरलिपि वर्गीय) द्वारा लोक भर्ती नियम, 2000 में सिस्टेमिकल संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची छीन के नियम नियमित उपलब्ध नियमों का लोप किया जाय।

No.F-3-36-2009-X-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class III (Non-Ministerial) Forest Service Recruitment Rules, 2000, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, the rule given below the scheduled III shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा वादेशमुख्य,

के. चे. जगतीय, कवा संस्था।